Guide Line

राजस्थान सरकार

कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर

क्रमांक एफ 5(4) कृ.प्र./23/2016-17/1082-1263 दिनांक- 28/4/2016

समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद.....

विषयः- वर्ष 2016-17 में विस्तार-प्रशिक्षण गतिविधियों के संचालन हेतु राज्य योजना अन्तर्गत दिशा-निर्देश एवं भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य।

कृषको एवं कृषि विस्तार कार्मिको की तकनीकी ज्ञान वृद्वि हेतु प्रशिक्षण एक आवश्यक माध्यम है। अनुसंधान एंव विकास योजनाओ के लाभ उचित लाभार्थियों तक पहुचाने का सशक्त माध्यम विस्तार प्रणाली है। विस्तार की विभिन्न गतिविधियों को अपनाकर वास्तविक लाभार्थियों को उचित ज्ञान/जानकारी उपलब्ध कराकर लाभान्वित किया जा सकता है। वर्ष 2016-17 में राज्य योजना में संचालित निम्न गतिविधियों के माध्यम से कृषकों को जानकारी देने एवं उत्पादन वृद्वि हेतु दिशा-निर्देश एवं भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य भिजवाये जा रहे है।

1. ग्राम पंचायत स्तरीय एक दिवसीय महिला प्रशिक्षण
2. कृषि शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन राशि
3. नाबार्ड के सहयोग से नवनिर्मित किसान सेवा केन्द्रों के सुदृढीकरण

संलग्नः दिशा-निर्देश, भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (13 पृष्ठ)

(डॉ. नीरज कुमार पवन)
आयुक्त कृषि एवं पदेन
विशिष्ठ शासन सचिव

क्रमांक एफ 5(4) कृ.प्र./ 23 /2016-17/1082-1263 दिनांक- 28/4/2016

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय कृषि मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी राजस्थान-जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त एवं पदेन विशिष्ठ शासन सचिव राजस्थान-जयपुर।
4. समस्त जिला कलक्टर ————————
5. निदेशक, पशुपालन/मत्स्य पालन, राजस्थान-जयपुर।
6. अपर निदेशक कृषि (विस्तार/आदान/अनुसंधान/समन्वय/एन.एम.ओ.ओ.पी.) मुख्यालय जयपुर
7. निदेशक, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, दुर्गापुरा जयपुर
8. निदेशक समेती (आत्मा), दुर्गापुरा जयपुर
9. समस्त खण्डीय संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार / तिलहन)/परियोजना निदेशक सीएडी कोटा.....।
10. संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार/योजना/आदान/पौ0सं0/गु0नि0/ज0उ0प्र0/शस्य-एटीसी/प्र0 एवं मू0/सांख्यिकी/रसायन), मुख्यालय जयपुर।
11. समस्त उप निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद्/उप निदेशक कृषि (विस्तार), आईजीएनपी बीकानेर.....।
12. उप निदेशक कृषि (विस्तार/अभियांत्रिकी/बीज/उर्वरक/सांख्यिकी/सूचना) मुख्यालय जयपुर।
13. समस्त सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), उप जिला.....
14. समस्त जिला विस्तार अधिकारी ————————
15. आरक्षी पत्रावली।

(एल.एन. कुमावत)
अपर निदेशक कृषि (विस्तार)

राज्य योजना के तहत ग्राम पंचायत स्तरीय एक दिवसीय कृषक महिला प्रशिक्षण हेतु दिशा--निर्देश वर्ष 2016--17

1. प्रशिक्षण का दायित्व सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), उप जिला का होगा। प्रत्येक प्रशिक्षण हेतु एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जावेगा जो सहायक कृषि अधिकारी स्तर का होगा।
2. प्रशिक्षण में 30 कृषक महिलाएँ भाग लेंगीं, जिसमें लघु/सीमान्त/अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, स्वयं सहायता समूह को प्राथमिकता दी जाए।
3. प्रशिक्षण का आयोजन ग्राम पंचायत स्तर पर किया जावेगा। प्रशिक्षण स्थल का चयन ऐसे गॉव/ वार्ड में किया जावे जहां पिछले दो वर्षो में ऐसा प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया हो ताकि कृषकों की प्रशिक्षण में पुनरावृत्ति न हो।
4. प्रशिक्षण में फसलों के बीज उत्पादन तकनीक, मृदा एवं जल परीक्षण का महत्व नमूने एकत्र करना व इनके उपयोग की जानकारी, सन्तुलित पोषक तत्वों (मुख्य व सूक्ष्म तत्व) के उपयोग, इत्यादि विषयों पर चर्चा की जाए।
5. प्रशिक्षार्थियों की क्षमता में अभिवृद्धि के लिए आवेदक कृषकों को प्रपत्र भरने की जानकारी, वॉछित दस्तावेज, देय अनुदान व अन्य प्रक्रियात्मक जानकारी दी जावे। प्रशिक्षण के दौरान बून्द–बून्द सिंचाई (ड्रिप), फव्वारा सिंचाई विधि, पाईप लाईन एवं डिग्गी निर्माण कर जल के समुचित उपयोग करने की जानकारी भी दी जावे।
6. प्रशिक्षण की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम (मिनट टू मिनट) बनाया जाए तथा स्थान, दिनांक, कृषक चयन, विषयपरक, व्याख्याता चयन, दृश्य–श्रृव्य साधन, प्रशिक्षण साहित्य आदि की प्रशिक्षण पूर्व व्यवस्था करनी होगी। यह ध्यान रखें कि समयबद्ध कार्यक्रम से पहले प्रशिक्षण समाप्त न हो तथा कार्यक्रम प्रस्तावित समय पर ही प्रारम्भ हो।
7. कृषि यंत्र/ पौध–संरक्षण उपकरण वितरण कार्यक्रम का व्यापक प्रचार–प्रसार व देय अनुदान की जानकारी दी जावे।
8. प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन कृषि पर्यवेक्षक/ सहायक कृषि अधिकारी/ कृषि अधिकारी के सम्मिलित प्रयासो से किया जावेगा। प्रशिक्षण में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की जावे। प्रशिक्षण कलेण्डर की सूचना उप निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद के पास रहेगी। प्रशिक्षण कलेण्डर की प्रति महिला बाल विकास विभाग के पंचायत समिति स्तर के अधिकारी को भी दी जावे एवं स्थानीय ग्राम पंचायत स्तर के महिला कार्यकर्ता को प्रशिक्षण में आवश्यक रूप से आमन्त्रित किया जाए।
9. प्रशिक्षण हेतु बजट का आवंटन सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), उप जिला को किया जावेगा।
10. प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण के दौरान ज्ञानार्जन टेस्ट लिया जावेगा जिसके लिये पूर्व में ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र तैयार किया जावेगा। इसकी घोषणा प्रशिक्षण प्रारम्भ के समय प्रत्येक प्रशिक्षु कृषक को दी जावेगी, जिससे प्रशिक्षणार्थियों को टेस्ट की जानकारी हो तथा सम्पूर्ण प्रशिक्षण के दौरान वे गम्भीर रहे। टेस्ट के परिणाम के आधार पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर रहने वाले कृषकों को पुरस्कार दिया जाए। इन पुरस्कारों की व्यवस्था प्रशिक्षण पूर्व ही कर ली जाए तथा प्रशिक्षण समाप्ति पर पुरस्कार वितरण किए जाए।
11. प्रशिक्षण हेतु राशि 3000/–रूपये राज्य योजना से देय होंगे। जिसका निम्नानुसार व्यय किया जाना है यद्यपि एक मद की बचत राशि को दुसरे मद में व्यय की जा सकेगी:–

क.सं.	नाम गतिविधि	राशि
1	भोजन/ जलपान/ प्रशिक्षण स्थल हेतु (60X30)	1800/–
2	कृषकों द्वारा की गई यात्रा के वास्तविक किराये का पुनर्भरण	200/–
3	अतिथि व्याख्याताओं को मानदेय भत्ता (150X2)	300/–
4	स्टेशनरी (पेपर, पैड, पैन, प्रमाण–पत्र)	300/–
6	मोबिलिटी एवं कम्यूनिकेशन तथा अन्य व्यय	100/–
6	दृश्य–श्रृव्य साधन एवं पुरस्कार(किसान टार्च, लोहे की बाल्टी, तश्ला, डोल्ची, उन्नत बीज आदि कृषक उपयोगी वस्तु)	300/–
	योग	3000/–

12. आवंटित किये गये भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति उपरान्त यदि राशि शेष रहती है तो उसके लिये अपने स्तर से योजनावार भौतिक लक्ष्यों में वृद्धि कर आवंटित किये गये बजट का शत–प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करेगें।

एक दिवसीय कृषक महिला प्रशिक्षण –प्रस्तावित प्रशिक्षण योजना (कलेण्डर) का प्रारूप
(वर्ष 2016–17 के लिए सम्पूर्ण वर्ष का कलेण्डर प्रारम्भ में ही बनाना है।)

क.सं.	प्रशिक्षण स्थल	प्रशिक्षण का दिनांक	प्रशिक्षण हेतु नोडल अधिकारी	मुख्य विषय वस्तु	अतिथि याख्याता/ विशेषज्ञ का नाम व पद
1	2	3	4	5	6

प्रशिक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले मुख्य बिन्दु

(प्रशिक्षण के नोडल अधिकारी, उप निदेशक कृषि जिला परिषद् को रिपोर्ट शीघ्र भिजवायेगें)

1. प्रशिक्षण स्थल
2. प्रशिक्षण दिनांक
3. भाग लेने वाले कृषकों की संख्या
4. उपस्थित विभागीय अधिकारियों/ कार्मिको के नाम व पद
5. प्रशिक्षण देने वालों के नाम व पद
6. विषय जिन पर प्रशिक्षण दिया गया
7. महिला कृषकों को दिए गए प्रश्न–पत्रों व उनके उत्तर के बारे में टिप्पणी
8. आयोजित प्रशिक्षण का प्रस्तावित व वास्तविक टाईम टेबिल (मिनट टू मिनट प्रोग्राम) का विस्तृत विवरण
9. महिला कृषकों की रूचि के बारे में टिप्पणी
10. प्रशिक्षकों के ज्ञान के बारे में टिप्पणी
11. विषय वस्तु के बारे में टिप्पणी
12. महिला कृषकों के द्वारा दिए गए फीड–बेक का सारॉश
13. विशेष विवरण

प्रशिक्षण हेतु प्रस्तावित विषयों की प्रतीकात्मक सूची

(केवल प्रतीकात्मक सूची है। आवश्यकतानुसार विषय अपने स्तर पर भी तय किए जा सकते है)

1. विभागीय योजनाओं की जानकारी
2. उत्पादकता वृद्धि कैसे हो – उत्पादकता वृद्धि के 21 मूल मंत्र पर विस्तृत चर्चा व कार्य–योजना।
3. ग्राम स्तरीय फसल उत्पादन कार्यक्रम (क्षेत्रफल, उत्पादन व उत्पादकता की कार्ययोजना)
4. बीज प्रतिस्थापन दर (SRR) बढ़ाने के तरीके एवं प्रमाणित बीज का अधिकाधिक उपयोग कैसे हो
5. विभिन्न फसलों की उन्नत किस्में
6. मृदा परीक्षण व मृदा स्वास्थ्य कोर्ड के आधार पर खाद व उर्वरक का प्रयोग
7. फसल अवशेष प्रबन्धन
8. समन्वित पोषक तत्व प्रबन्धन
9. जिप्सम का फसल उत्पादन में महत्व एवं क्षारीय भूमि सुधार
10. वर्षा जल संरक्षण एवं शुष्क खेती व फसलों की कान्तिक (Critical) अवस्था पर सिंचाई
11. फव्वारा सिंचाई से सिंचित क्षेत्र में वृद्धि एवं बून्द–बून्द सिंचाई
12. जैविक खेती, जैविक तरीके से पोषक तत्व प्रबन्धन, जैविक तरीके से कीट प्रबन्धन, जैविक तरीके से व्याधि प्रबन्धन व नीम का जैविक खेती में उपयोग
13. उन्नत बीज उत्पादन
14. वर्मी कम्पोस्ट एवं नेडेप, व सुपर कम्पोस्ट बनाने की विधि
15. गर्मियों की जुताई
16. फेरोमेन ट्रेप व प्रकाश पास का उपयोग
17. अनाज का सुरक्षित भण्डारण
18. फार्म लेविल ग्रेडिगं (खेत पर ही सफाई, छनाई, ग्रेडिगं)
19. सूत्रकृमी प्रबन्धन
20. आर्थिक क्षति स्तर जानने का तरीका व महत्व
21. विभिन्न नाशी जीवों का प्रबन्धन (दीमक, कातरा, सफेद लट, अमेरिकन सुन्डी, चितकबरी सुन्डी, मोयला, आरा मक्खी, पेन्टेड बग, सफेद मक्खी, पोड बोरर, फडका आदि)
22. खरपतवार नियंत्रण कब और कैसे करें।
23. कपास फसल में कीट–नियंत्रण का प्रभावी तकनीक
24. फसलवार उत्पादन बढ़ाने के प्रभावी बिन्दु
25. फसल विविधिकरण
26. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
27. परमपरागत कृषि विकास योजना
28. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

कृषि विषय में अध्ययनरत छात्राओं को देय प्रोत्साहन राशि के दिशा–निर्देश वर्ष 2016–17

1. कृषि विषय लेकर सीनियर सैकेण्डरी (10+2) में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन राशि रूपये 5,000/– प्रतिवर्ष की दर से 11 वीं एवं 12 वीं कक्षा हेतु देने का प्रावधान है।
2. कृषि स्नातक शिक्षा जैसे उद्यानिकी, डेयरी, कृषि अभियांत्रिकी, खाद्य प्रसंस्करण आदि में अध्ययनरत छात्राओं को 12,000/–रूपये प्रोत्साहन राशि प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु देने का प्रावधान है।
3. कृषि स्नात्कोत्तर शिक्षा (एम.एस्सी. कृषि) में अध्ययनरत छात्राओं को 12,000/–रूपये प्रोत्साहन राशि प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु देने का प्रावधान है।
4. कृषि विषय में पी.एच.डी. में अध्ययनरत छात्राओं को 15,000/– रूपये प्रोत्साहन राशि प्रतिवर्ष अधिकतम 3 वर्ष हेतु देने का प्रावधान है।
5. **अध्ययनरत छात्रा के प्रवेश की श्रेणी (Payment / Non payment)का संबंध कृषि में अध्ययनरत छात्राओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि से नहीं है।**
6. इस योजना के अन्तर्गत प्रोत्साहन राशि का भुगतान **केवल राजस्थान की मूल निवासी** ऐसी छात्राओं को किया जावेगा जो राजकीय एवं राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत होंगी। योजना के प्रचार–प्रसार के लिए उप निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद एवं अधीनस्थ अधिकारी समुचित प्रयास करेंगे।
7. **गत वर्ष में अनुत्तीर्ण छात्राओं को पुनः उसी कक्षा में प्रवेश लेने पर प्रोत्साहन राशि देय नहीं होगी।**
8. जिन छात्राओं ने श्रेणी सुधार हेतु उसी कक्षा में पुनः प्रवेश लिया हो, को भी प्रोत्साहन राशि देय नहीं होगी।
9. सत्र के मध्य विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय छोड़कर जाने वाली छात्राओं को भी प्रोत्साहन राशि का भुगतान देय नहीं होगा।
10. जिन छात्राओ को पूर्व वर्ष में प्रोत्साहन राशि स्वीकृत कर भुगतान किया जा चुका है। उन छात्राओं से दुबारा मूल निवास प्रमाण–पत्र लिया जाना आवश्यक नहीं है।
11. जिन छात्राओं को गत वित्तीय वर्ष में प्रोत्साहन राशि का भुगतान किन्हीं कारणों से नहीं किया जा सका था, को भी वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
12. <u>प्रोत्साहन राशि हेतु कृषि में अध्ययनरत छात्राओं का आवेदन पत्र संलग्न प्रपत्र अनुसार कियोस्क पर ऑन लाइन जिले के उप निदेशक कृषि विस्तार जिला परिषद को करना होगा। कियोस्क की सूची www.emitra.gov.in पर देखी जा सकती है।</u>
13. उप निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद अपने जिले के समस्त विद्यालयों एवं महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में सम्पर्क कर पंजीकृत छात्राओं की कक्षावार एवं श्रेणीवार कुल संख्या का आंकलन कर निदेशालय को शीघ्र अवगत करायेंगे।
14. संबंधित उप निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद को प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु बजट का आवंटन माह जून, 2016 तक कर दिया जायेगा।

16. वर्ष 2016–17 के लिए विद्यालयों के प्रधानाचार्य, महाविद्यालयों के अधिष्ठाता, विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार कृषि विषय लेकर अध्ययनरत 10+2, स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पी.एच.डी. छात्राओं की सूची निम्न प्रारूप में संबंधित जिले के उप निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद को शीध भिजवायेगें।

प्रपत्र

क्र. सं.	नाम विद्यालय / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय	छात्रा का नाम मय पिता का नाम	श्रेणी	घर का पता	गृह जिला	कक्षा	प्रोत्साहन राशि	भामाशाह कार्ड नम्बर	बैंक का नाम मय पता	खाता संख्या
1										

17. उप निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद द्वारा 15 दिसम्बर, 2016 तक छात्राओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि का आहरण कर, संबंधित छात्रा के बैंक खाते को भामाशाह योजना से जोडकर सीधे ही जमा कर विद्यालयों / महाविद्यालयों / विश्वविद्यालयों के कार्यालयाध्यक्षों को अवगत करायेंगे।

18. उप निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद द्वारा छात्राओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि का समय पर सत्यापन कर 15 दिसम्बर, 2016 तक छात्राओं के भामाशाह खाते में राशि का आवश्यक रूप से भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।

सम्पूर्ण कार्य योजना

- बजट का आवंटन की तिथि :– 30 जून, 2016
- आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि :– 30 सितम्बर, 2016
- स्वीकृति जारी करने की तिथि :– 25 अक्टूबर, 2016
- अतिरिक्त बजट मांग करने की तिथि :– 30 अक्टूबर, 2016
- भुगतान जारी करने की तिथि :– 30 नवम्बर, 2016
- समस्त पत्रावलियों का निस्तारण की तिथि :– 15 दिसम्बर, 2016

कृषि में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन राशि हेतु आवेदन पत्र

छात्रा का नामः–.....

पिता का नामः–.....

जातिः–.....

गॉवः–.....

पंचायत समितिः–.....

आधार कार्ड/भामाशाह कार्ड सं0 (अनिवार्य).....

जिलाः–.....

महाविद्यालय/विद्यालय का नामः–.....

कक्षाः–.....वर्गः–.....

जन्म तिथि.....

बैक खाता संख्याः–.....

बैंक का नामः–.....

हस्ताक्षर छात्राः–.....

संस्था प्रधान का प्रमाणीकरणः–.....

नाबार्ड के सहयोग से नव निर्मित किसान सेवा केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण हेतु राज्य योजना अन्तर्गत दिशा-निर्देश वर्ष 2016-17

सहायक कृषि अधिकारियों एवं कृषि पर्यवेक्षको के लिए विभागीय भवनों का अभाव होने से कृषि विस्तार का कार्य सुचारू रूप से चलने में काफी परेशानी का सामना करना पडता था। इसको दृष्टिगत रखते हुए 4997 ग्राम पंचायतों एवं सभी 248 पंचायत समिति के सेवा केन्द्रों में किसान सेवा केन्द्र निर्माण करवाया गया जिससे ग्राम पंचायत स्तर पर स्थित सेवा केन्द्रों में कृषि से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध होगी।

किसान सेवा केन्द्र किसानों को कृषि तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराने और उनकी समस्या का निवारण करने के लिए विभाग की एक सशक्त ईकाई है। निर्मित किसान सेवा केन्द्र पर जब तक आधारभूत सुविधायें उपलब्ध नही होगीं, तब तक इनके निर्माण करवाये जाने का उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। अतः निर्मित किसान सेवा केन्द्रों पर मुख्यतयः आधारभूत सुविधायें उपलब्ध करवाया जाना मुख्य उद्देश्य है। किसान सेवा केन्द्रों के सुदृढीकरण करवाने से कृषक प्रशिक्षण, आधारभूत कृषि संबंधी सूचनायें एवं कृषि तकनीकी विस्तार हेतु अनुकुल वातावरण रहेगा। जिससें कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम सुविधा जनक करवाये जा सकेगें।

राज्य योजना अन्तर्गत किसान सेवा केन्द्रों के सुदृढीकरण हेतू निम्नानुसार बजट प्रावधान है:-

1. <u>पंचायत समिति स्तर पर:-</u> पंचायत समिति स्तर के किसान सेवा केन्द्र हेतू राशि 1.25 लाख रूपये का प्रावधान हैं।
2. <u>ग्राम पंचायत स्तर पर:-</u> ग्राम पंचायत स्तर के किसान सेवा केन्द्र हेतू राशि 0.50 लाख रूपये का प्रावधान है।

पंचायत समिति स्तर एवं ग्राम पंचायत स्तर पर सेवा केन्द्रों के सुदृढीकरण हेतू आवश्यक सामग्री के संबंध में विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' पर संलग्न है। इस मद में राशि बचने पर अवशेष राशि का उपयोग किसान सेवा केन्द्रों पर आवश्यक सामयिक (प्रेटी) सामग्री के क्रय हेतू किया जावेगा। संबधित सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) उप जिला आवंटित की जा रही राशि से किसान सेवा केन्द्रों के लिए नवीनतम उन्नत तकनीक से संबंधित सामग्री की व्यवस्था करवायेंगे जिससे विस्तार कार्यकर्ता कृषकों को नवीनतम तकनीक का सम्प्रेषण कर सकें।

कार्यक्रम की प्रगति सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) उप जिला द्वारा संबंधित उप निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद एवं खण्डीय संयुक्त निदेशकों को 30 सितम्बर तक भेजी जावेगी जिसमें चयनित किसान सेवा केन्द्रों के नाम व उपलब्ध करवाई जा रही सामग्री का विवरण दिया जावेगा। <u>खण्डीय संयुक्त निदेशक तदानुसार प्रगति उपजिलावार संकलित कर आयुक्तालय को 30 अक्टूम्बर तक</u> आवश्यक रूप से भिजवायेंगे।

1. किसान सेवा केन्द्रों के सुदृढीकरण हेतु आवश्यकतानुसार राशि से प्राथमिकता के आधार पर सामग्री उपलब्ध करवाई जाए एवं निर्धारित राशि अनुसार ही क्रय किया जावें।

2. उपलब्ध कराई जा रही राशि का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए संबंधित सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), उप जिला की अध्यक्षता में तीन सदस्यों की एक कमेटी का गठन करेंगे जो अपने क्षेत्र के कौन–कौन से किसान सेवा केन्द्रों को सुसज्जित किया जाना है एवं किसान सेवा केन्द्रों पर क्या–क्या सामग्री उपलब्ध कराई जानी का निर्धारण कर वॉछित सामग्री अपनी निगरानी में कय करवायेंगे।

3. बजट का उपयोग समय पर सुनिश्चित क़राने एवं कियान्वयन हेतु समय सारणी निम्न प्रकार रहेगी :–

- समिति का गठन — 20 मई तक
- सुसज्जित किए जाने वाले कि.से.के. का चयन — 31 मई तक
- कि.से.के. सुसज्जित करने हेतु सामग्री का चयन — 30 जून तक
- सुसज्जित करने हेतु सामग्री की व्यवस्था — 30 सितम्बर तक
- उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना बजट उपलब्ध होने के दो माह में

4. आवंटित राशि के व्यय हेतु वित्तीय नियमों एवं राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013 एवं योजना के दिशा निर्देशों व तत्सम्बधी वित्तीय नियमों का पालन किया जावे।

5. सहायक निदेशक कृषि उप जिला द्वारा भवन निर्माण पूर्ण होने पर ही वास्तविक आवश्यकता अनुसार फर्नीचर व अन्य सामान का क्रय किया जावें।

6. बिजली पानी कनेक्शन की मांग पत्र अधिक राशि के होने की स्थिति में कारण सहित कृषि आयुक्तालय को भिजवाएगें एवं संबंधित विधुत विभाग कार्यालय में सम्पर्क कर उपयुक्त राशि तक लाने का प्रयास करेगें।

संबंधित सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), उप जिला बजट उपयोग करने के एक सप्ताह के अन्दर संबंधित संयुक्त/उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद को प्रगति से अवगत कराते हुए आयुक्तालय को सूचित करायेंगे।

इस कार्यक्रम के कियान्वयन हेतु जिलेवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य संलग्न कर भिजवायें रहे है। उप निदेशक कृषि (विस्तार) जि.प.– संबंधित उप जिला कार्यालयों को भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का आवंटन करते हुए कृषि आयुक्तालय को अविलम्ब भिजवायेगें, जिससे उप जिला कार्यालयों को बजट आवंटन करवाया जा सकें।

परिशिष्ट–'अ'

ग्राम पंचायत स्तर पर

क्र.स.	सामग्री का नाम	नग / संख्या	राशि (रू.में)
1.	बिजली एवं पानी कनेक्शन व्यवस्था		20000
2.	टेबल	2	10000
3.	ऑफिस चेयर एवं विजिटर चेयर	4	4000
4.	प्लास्टिक चेयर	5	1500
5.	स्टील की अलमारी	1	5000
6.	फर्श	2	5500
7.	इनसेक्ट पेस्ट चार्ट्स, स्पेसी मेन सेम्पल एवं सेम्पल कन्टेनर, फीता एवं अन्य आवश्यक सामग्री	आवश्यकतानुसार	4000
	योगः–		50,000

परिशिष्ट–'ब'

पंचायत समिति स्तर पर

क्र.स.	सामग्री का नाम	नग / संख्या	राशि (रू.में)
1.	बिजली एवं पानी कनेक्शन व्यवस्था		20000
2.	टेबल	4	20000
3.	ऑफिस चेयर एवं विजिटर चेयर	5	10000
4.	प्लास्टिक चेयर	50	15000
5.	फर्श	4	11000
6.	स्टील की अलमारी	2	15000
7.	बुक शेल्फ / रेक	2	2500
8.	बॉक्स	2	3000
9.	व्हाईट बोर्ड	2	2000
10.	बाल्टी एवं जग	2	500
11.	इनसेक्ट पेस्ट चार्ट्स	10	10000
12.	स्पेसी मेन सेम्पल एवं सेम्पल कन्टेनर	10	5000
13.	डिस्पले बोर्ड	1	2000
14.	बुक्स एवं लिटरेचर	आवश्यकतानुसार	2000
15.	कार्यालय उपयोग हेतु साम्रगी (कम्प्यूटर एवं प्रिंटर मय इंटरनेट सुविधा / टेबल ग्लास / कचरा पात्र / कॉकरी / डोर बेल / दीवार घडी / अन्य स्टेशनरी)	आवश्यकतानुसार	4500
16.	मेजरिंग टेप एवं इलेक्ट्रोनिक तुला	1	2500
	योगः–		1,25,000